फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

मनफूल व अन्य **बनाम** विजयसिंह व अन्य

वादपत्र संख्या 81 / 2014

अन्तर्गत धारा 88, 183, राजथान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
20.10.2014	वादीगण की ओर से श्री काशीराम रिणवा, अधिवक्ता द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया, वाचक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत. पंजीबद्व हो. प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत हो. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	2013/2088 21/10
05.11.XIV	प्रतिवादी सं० 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष मिढ्ढा, प्रतिवादी सं० 11-12 की ओर से अधिवक्ता श्री विपुल रेवाड़ द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत. शामिल हो. [illegible] आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.11.XIV को पेश हो।	
24.11.XIV	अधिवक्तागण उभय पक्षकार हाजिर. अधिवक्ता उभय पक्ष की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत. शामिल हो. प्रतिवादी सं० 9 व 13 की तलबी हेतु जारी सम्मन अदम तामील प्राप्त. प्रतिवादी सं० 10 की तलबी हेतु जारी सम्मन वापस प्राप्त नहीं. बाद/अदम तामील प्रतिवादी सं० 9, 10 एवं 13 की तलबी हेतु पुन: तलबाना-सम्मन प्रस्तुत करने की हिदायत की गयी. प्रस्तुत करने पर जारी हो. प्रतिवादी सं० 1 से 8, 11 एवं 12 की ओर से जवाब वाद पत्र हेतु समय चाहा गया. पत्रावली वास्ते तलबी-जवाब दावा दिनांक 02.12.XIV को पेश हो.	[illegible]
02.12.XIV	अधिवक्तागण उभय पक्ष हाजिर. प्रतिवादी सं० 9 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] मिढ्ढा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत. शामिल हो. प्रतिवादी सं० [illegible] की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत करने की पुन: हिदायत की गयी. प्रस्तुत होने पर जारी हो. पत्रावली वास्ते तलबी-जवाब वाद पत्र दि० 11.12.XIV को पेश हो.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:07 IST
Reason: SelfAttested

15/01/25 वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली लगभग 03 वर्ष से बहस स्तर पर लम्बित चली आ रही है। बहस हेतु अंतिम अवसर भी पूर्व में दिया जा चुका है न्यायहित में एक और अंतिम अवसर बहस हेतु दिया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/01/25 को पेश हो।

17/01/25 वकील वादी उपस्थित नहीं। पत्रावली काफी लम्बे समय से बहस हेतु लम्बित चली आ रही है। वकील वादी को पूर्व में अंतिम अवसर दिया जा चुका है। वकील वादी को न्यायालय समय में निरन्तर कई-कई आवाजें लगाई गई। वकील वादी हाजिर नहीं आये अतः इस्तगासा पत्रावली प्रकरण सं. 81/2014, अभियोगी मनफूल व अन्य बनाम विजय सिंह व अन्य अंतर्गत धारा 88, 183 RTA वकील वादी की अदम पैरवी। अदम पैरवी में वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली न स्वीकृत हो पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर निर्णित की सूची में शामिल रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:09:07 IST
Reason: SelfAttested